

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प० /2018/741

दिनांक : 23/10/2018

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।

विषय : डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 2808/2012 स्मूटो के बनाम
राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 25.07.2018 के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 2808/2012 स्मूटो के बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 25.07.2018 की अनुपालना में राज्य की जेल डिस्पेंसरियों में आवश्यकतानुसार एम्बुलैन्स की व्यवस्था/उपलब्धता करवाना सुनिश्चित करावें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प० /2018/741

दिनांक : 23/10/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव अति० मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा० विभाग, राज० जयपुर।
4. महानिदेशक (कारागृह), राजस्थान, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2), विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अवलोड करावें।
8. निजी/आदेश पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।